

Major Achievements 2016-2017

जिला पुलिस रेवाडी द्वारा वर्ष – 2016 के दौरान की गई विशेष उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार से है:-

फर्जी पत्नी बनाकर किडनी Transplantation की घटना का मार्च – 2016 में पर्दाफाश किया।

दिनांक 18.03.2016 को स्थानीय पुलिस ने दिनेश यादव पुत्र संजय यादव निवासी भाकली द्वारा किडनी प्रत्यारोपण हेतु अपनी फर्जी पत्नी बनाकर कार्यालय सिविज सर्जन, रेवाडी में पेश की गई महिला आशा देवी व दिनेश कुमार को हिरासत में लेकर पुछताछ की गई और फर्जी किडनी Transplantation का पर्दाफास किया और 4 आरोपीगण 1. दिनेश यादव निवासी गांव भाकली, रेवाडी, 2. संतोषी पण्डित निवासी उल्लोबेरिया थाना उल्लोबेरिया, जिला हाबडा, कलकता, 3. शकुन्तला निवासी गांव भाकली, रेवाडी व 4. निशा निवासी गांव भाकली, रेवाडी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

भ्रूण लिंग जांच के अन्तर्राज्यीय गिरोह का मई – 2016 में पर्दाफाश

❖ Dr. J.K Saini, Dy. Civil Surgeon Rewari को मिली गुप्त सूचना के आधार पर भ्रूण लिंग जांच गिरोह की सूचना पाकर सिविल सर्जन रेवाडी द्वारा गठित टीम द्वारा बोगस ग्राहक तैयार करके गिरोह के सदस्यों से सम्पर्क किया गया तथा Modren Laboratory Bawal Road, Rewari मार्डन लेबोरेट्री बावल रोड, रेवाडी के माध्यम से करवाये जा रहे भ्रूण लिंग जांच के अन्तर्राज्यीय गिरोह (हरियाणा, राजस्थान, यू0पी0 व दिल्ली) का पर्दाफास कर Carepolly Clinic , B-13, Aastha Apartment, Shalimar Garden, Falt No. 201, Shahibabad, Gaziyabad U.P पर रैड कर अभियोग सं0 197 दिनांक 11.05.16 धारा 23 PC & PNDD Act. & 120B IPC थाना माडल टाऊन रेवाडी दर्ज कर आरोपीगण डा0 सहित लिंग जांच गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जो स्थानीय पुलिस रेवाडी ने इस अन्तर्राज्यीय गिरोह को काबू कर बडी सफलता हासिल की।

❖ डा0 रमेश धनखड सिविल सर्जन गुडगांव की शिकायत पर अभियोग संख्या 126 दिनांक 28.05.16 धारा 4,5,6,23 PC & PNDD Act 1994, 27 Drugs and Cosmetics Act. 1940, 15(2)(B) Indian Medical Council Act. & 420,120B IPC थाना खोल दर्ज कर गांव ढाणी कोलाना थाना खोल की सीमा में भ्रूण लिंग जांच करने वाले

अर्न्तराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया, और 8 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ अपराधी राजस्थान राज्य के खेतडी कस्बे से भी सम्बन्ध रखते हैं।

➤ **बैंक लूटने की योजना बनाते गिरोह को दिनांक 08/09-07-2016 की रात्री को काबू किया।**

दिनांक 08/09.07.2016 की रात्री को सी.आई.ए युनिट ने बैंक लुटने की वारदात को रोककर 5 आरोपिगण को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है, जो 5 आरोपिगण के विरुद्ध अभियोग संख्या 275 दिनांक 09.07.2016 धारा 399/402 भा.द.स थाना मॉडल टाऊन दर्ज रजिस्टर किया गया व उनके कब्जा से गैस सिलेण्डर, गैस कटर, पल्सर मोटर साईकिल न0 HR-36K-5956 Black Colour, 1 देशी कटटा व 1 कारतूस बरामद किया गया।

➤ **पुलिस मुठभेड में कुख्यात बदमाश चन्द्रशेखर उर्फ लीलू ततारपुरीया जो आतंक का पर्याय बन चुका था, को उसकी गैंग के सदस्यों सहित पकडने में सफलता हासिल की।**

दिनांक 21.08.16 को जिला रेवाडी पुलिस ने कुख्यात बदमाश 1. चन्द्रशेखर उर्फ लीलू निवासी ततारपुर को उसकी गैंग के सदस्यों 2. नितिन उर्फ डब्लु निवासी मौहल्ला कतोपुर, 3. मांगेराम निवासी हरचन्दपुर, बावल, 4. गौरव निवासी कतोपुर रेवाडी, 5. सुरेन्द्र निवासी बुडाना सहित पुलिस मुठभेड के दौरान मौका से पकडने में सफलता हासिल की, जो इन बदमाशों के कब्जा से वारदात में प्रयोगशुद्धा गाडी ETIOS No. HR-81-2698, Motor Cycle, 3 पिस्टल, 1 रिवाल्वर, 1 देशी कटटा व 23 रॉन्द बरामद किये गये व इस सम्बंध में मुकदमा न0 332 दिनांक 21.08.16 धारा 186,332,353,307,399,402,427 भा.द.सं. व 25,54,59 शस्त्र अधिनियम थाना धारूहेडा दर्ज रजिस्टर किया गया। जो यह गैंग काफी आपराधिक वारदातें कर चुकी है।

इस अपराधी गैंग के सदस्यों ने चन्द दिनों में निम्नलिखित 6 वारदातो (हत्या की कोशिश, लूट व फिरौती) को अंजाम दिया है, जिनका विवरण इस प्रकार से है :-

| Sr. No. | FIR No. | Date | U/S | PS. |
|---------|---------|----------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 236 | 02.08.16 | 307,34 IPC & 25,54,59 A. Act. | City Rewari |
| 2 | 124 | 07.08.16 | 392,397 IPC & 25,54,59 A. Act. | Bawal |
| 3 | 194 | 21.08.16 | 392,397 IPC & 25,54,59 A. Act. | Kasola |
| 4 | 147 | 19.06.16 | 379B IPC & 25,54,59 A. Act. | Khol |
| 5 | 360 | 17.08.16 | 386,506 IPC | M.T |
| 6 | 174 | 22.08.16 | 386 IPC | Rampura |

➤ **पैरोल जम्पर कुख्यात अपराधी राजकुमार उर्फ झोटा जो आये दिन आतंक का पर्याय बन चुका था, को पकडने में सफलता हासिल की।**

दिनांक 29.08.16 को जिला पुलिस रेवाडी ने पैरोल जम्पर कुख्यात अपराधी राजकुमार उर्फ झोटा को उसके साथी जसपाल निवासी, नजफगढ, दिल्ली सहित पकड़ने में सफलता हासिल की ओर उसके कब्जा से 1 देशी कटटा, 2 कारतूस व 1 मोटर साईकिल बरामद की गई। यह कुख्यात अपराधी अपनी झोटा गैंग सहित 24 आपराधिक वारदाओं जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, फिरौती, आपसी लड़ाई झगडा व अपहरण आदि शामिल है को एंजाम दे चुका है।

इस अपराधी ने पैरोल पर आने उपरान्त अपनी झोटा गैंग सहित निम्नलिखित जघन्य अपराधों का एंजाम दिया :-

| Sr. No. | FIR No. | Date | U/S | PS. |
|---------|---------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | 210 | 18.07.16 | 386,285,34 IPC & 25,54,59 A. Act. | City Rewari |
| 2 | 246 | 20.08.16 | 386,285,34 IPC & 25,54,59 A. Act. | City Rewari |
| 3 | 252 | 29.08.16 | 386,506,34 IPC & A. Act. | City Rewari |

➤ **बदमाश गोलू उर्फ भुपेन्द्र पर हुई फायरिंग के सम्बंध में आरोपी गिरफ्तार :-**

दिनांक 30.08.16 की रात्री को खोटू व उसके साथी द्वारा गोलू उर्फ भुपेन्द्र सुभाष बस्ती रेवाडी पर गोली चलाई जो गोली गोलू उर्फ भुपेन्द्र के दाहिने कन्धे पर लगी। दौराने अनुसंधान आरोपीगण 1. अजीत निवासी शिव कालोनी रेवाडी, 2. प्रदीप निवासी कतोपुर, रेवाडी, 3. सचिन निवासी चौधरीवाडा रेवाडी व 4. कुलदीप गुलाबी बाग, रेवाडी को गिरफ्तार किया गया है।

➤ **जिला में आतंक का पर्याय बन चुके आलू गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया :-**

BMG Mall, Rewari के सामने आलू गैंग के सदस्यों कर्मबीर वगैरा ने मिलकर राहुल पुत्र सुरजभान निवासी माता चौक, रेवाडी के उपर पुरानी रंजिश को लेकर गोली चलाई थी, जिस पर पीडित राहुल की शिकायत पर अभि० स० 311 दिनांक 23.07.16 धारा 148,149,323,307 भा.द.स व 25,54,59 शस्त्र अधि० थाना माडल टाउन रेवाडी दर्ज रजिस्ट्रर हुआ, जो इस अभियोग में आलू गैंग के 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया।

एक माह के अन्तराल के दौरान जिला पुलिस रेवाडी ने 21 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध **Arms Act.** व डाका डालने की तैयारी को लेकर 12 आपराधिक मुकदमें दर्ज किए है। जिनमें **13 Desi Katta, 04 Pital, 1 Revolver, 1 Knife** व **45 Cartridge** बरामद किए गए है तथा वारदाओं में प्रयोगशुद्धा **2 गाडी (ETIOS & Swift)** व **2 Motor Cycle** बरामद कर कब्जा पुलिस में ली गई है।

➤ **व्यापारी की हत्या कर 5 लाख रूपये लूटने वाले आरोपीगण को गिरफ्तार किया**

दिनांक 11.09.16 को समय करीब 06.00 बजे सुबह शहर के पीतल का काम करने वाले व्यापारी पूर्ण चन्द को उनके घर के सामने मोटर साईकिल 2 नौजवान लडके गोली मारकर 5 लाख रूपये लूट ले गये। जिस पर अभियोग संख्या 268 दिनांक 11.09.16 धाराधीन 302,392,34 भा.द.स व 25,5,4,59 शस्त्र अधिनियम थाना शहर रेवाडी दर्ज किया गया। अभियोग को अनुरेखित करते हुए दिनांक 11.09.2016 को ही आरोपीगण 1. बीरू निवासी चौधरीवाडा, रेवाडी, 2. प्रदीप निवासी नया गांव दौलतपुर, थाना सदर रेवाडी व 3. दीपक उर्फ दीपू निवासी मौहल्ला मेहरवाडा रेवाडी को दिनांक 11.09.16 को गिरफ्तार किया गया व लूटी गई रकम बरामद की गई।

➤ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 पर पेट्रोल पंप अकाउन्टैन्ट से 27 लाख रूपये लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया।

दिनांक 22.09.16 को समय करीब दोपहर 11:40 बजे सैल्समैन राजू पुत्र दयाचन्द जाति जाटव व अकाउन्टैन्ट अमरदीप फिलिंग स्टेशन का कैश 27,22,000/- रू० बैग में डालकर S.B.I Branch Bawal में जमा करवाने हेतु मोटर साईकिल न० RJ-02-FS-5493 से लेकर जा रहे थे। समय करीब 11:50 बजे मोटर सवार 2 लडके कटटा दिखाकर पैसों का बैग छीन ले गये। इस पर अभियोग संख्या 160 दिनांक 22.09.2016 धाराधीन 395 भा.द.स व 25,54,59 शस्त्र अधिनियम थाना बावल दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान आरोपी टींकू, सुखबीर, धनराज, अरविन्द व मनोज को गिरफ्तार किया गया। जो आरोपिगण के कब्जा से लूटे गये पैसे, वारदात में प्रयोगशुद्धा 1 देशी कटटा, 10 रौन्द व 2 मोटर साईकिलें बरामद की गई।

Achievements of C.S Act Year – 2016

| Case Registered | Recovery of Cows | Person Arrested | Vehicle Seized |
|-----------------|--|-----------------|----------------|
| 21 | Cow = 105 Bull = 69 Calf = 41 Total = 215 | 37 | 18 |

1- Action against of Overloading Vehicle 1.01.2016 to 31.12.2016

| Case Registered | Impound Vehicle | Challan | Pay of Fine |
|-----------------|-----------------|---------|-----------------|
| 277 | 2994 | 2031 | 1,82,31,600/-/- |

Criminal Gangs Apprehended UPTO 01.01.16 to 31.12.16

| Sr. No. | Head | No.of Gang | Person Arrested | Trace Cases | Total Recovery |
|---------|------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|----|----|----|-------------|
| 1 | Dacoity | 1 | 4 | 5 | 27,22,000/- |
| 2 | Robbery | 4 | 22 | 18 | 35,52,000/- |
| 3 | M.V Theft | 2 | 9 | 19 | 3,37,000/- |
| 4 | Cattle Theft | 1 | 3 | 10 | 2,91,000/- |
| 5 | Burglary | 3 | 9 | 28 | 9,82,000/- |
| 6 | Ransom | 1 | 5 | 4 | NIL |
| | Total | 12 | 52 | 84 | 78,84,000/- |

Statement POs. & Bail Jumpers UPTO 01.01.16 to 31.12.16

| <u>POs.</u> | <u>Bail Jumper's</u> |
|--------------------|-----------------------------|
| 27 | 49 |

❖ स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों में नीचे दर्शाई गई तालिका अनुसार जिला पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए रिकवरी की है जिनका विवरण इस प्रकार है।

Recovery of Local & Special Law

Arms Act

| Cases registered | Pistol/ revolver | Cartridge | other |
|------------------|------------------|-----------|-------|
| 40 | 42 | 69 | 5 |

Gambling Act

| Cases registered | Recovery |
|------------------|----------|
| 64 | 438080/- |

Excise Act

| | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Cases registered | licit liquor (in Btls) | English wine (in Btls) | Beer (in Btls) |
| 248 | 4002 | 11243 | 74970 |

NDPS Act

| | | | | |
|------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Cases registered | Puppy Husk | Bhang Patti | Ganja | Sulpha |
| 12 | 4.234 kg. | 0.75 kg. | 3.115 kg. | 1.467 kg. |

आपराधिक अभियोगों में शीर्षकवार की गई विशेष उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार से है।

Details of Crime against Persons –

| Sr. No. | Crime Head | Registration 2015 | Registration 2016 | Difference | down % |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|------------|--------|
| 1 | 302 IPC | 42 | 25 | 17 | 40 % |
| 2 | 307 IPC | 40 | 28 | 12 | 30 % |
| 3 | 363,366 IPC | 48 | 39 | 9 | 19 % |

उपरोक्त शीर्षक के अर्न्तगत Trace out किए गए अभियोगों में से विशेष उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :-

हत्या :-

1 अभियोग संख्या 24 दिनांक 17.02.16 धाराधीन 302,201,34 भा.द.स थाना कसौला।

दिनांक 13.01.2016 को मृतक ओमप्रकाश की डैड बॉडी गढी बोलनी नहर (जिला रेवाड़ी) में पाई जाने पर उपरोक्त अभियोग अंकित किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियोग को **Trace out** करते हुए इस वारदात को एंजाम देने वाले 3 आरापिगण सुमित सैनी, राजेन्द्र व मनीष वासियान भौंडा कंला, थाना बिलासपुर, जिला गुडगांवा को दिनांक 12.03.2016 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

2 अभियोग संख्या 165 दिनांक 11.04.2016 धाराधीन 147,149,302,307,353,186 भा.द.स व 13बी हरियाणा गोवंश संरक्षण एवम गोवंश संवर्धन अधिनियम 2015 थाना मारुल टारुन।

दिनांक 10/11.04.2016 की रात्री को राजेश पायलेट चौक, रेवाडी में नाका पर तैनात कर्मचारियों पर गोक पी करने वाले मेव गिरोह द्वारा पिकअप गाडी द्वारा सीधी टक्कर मारी गई। जो इस घटना में घायल पुलिस कर्मचारियों सिपाही राज सिंह न0 233 व सिपाही धर्मवीर न0 980 को पुष्पांजली अस्पताल रेवाडी में दाखिल करवाया गया, जो घायल सिपाही राज सिंह न0 233 की मृत्यु हो गई। जो अभियोग को अनुरेखित करते हुए आरोपी तालिम उर्फ भोला पुत्र बसीर अहमद जाति मेव निवासी बडका अलीमुदीन, थाना रोजका मेव जिला मेवात व उसके साथी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की।

3. अभियोग संख्या 131 दिनांक 23.04.2016 धाराधीन 148,149,307,302 भा.द.स व 25,54,59 शस्त्र अधिनियम थाना धारुहेडा।

उपरोक्त अभियोग में तीन मोटर साईकिलों पर सवार नौजवान लडकों ने मुदई के चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर कर दी थी, जो अभियोग को शीघ्रता से अनुरेखित करते हुए अभियोग में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

4 अभियोग संख्या 184 दिनांक 25.06.2016 धाराधीन 302,394,379बी भा.द.स थाना शहर रेवाडी।

(दि0 03.07.16 को धारा 346 भा.द.स तर्क कर धारा 302,394,379बी भा.द.स ईजाद की गई)

यह अभियोग कृष्ण पुत्र फुलचन्द जाति कोहली निवासी मौहल्ला मुक्तिवाडा, रेवाडी की शिकायत पर उसका भाई रवि जो गाडी न0 एच0आर0 – 47सी – 9011 चलाता था दिनांक 24.06.16 को लापता हो जाने यह अभियोग धारा 346 भा.द.स के अर्न्तगत दर्ज कर अनुसंधान अमल में लाया गया। दौराने अनुसंधान दिनांक 03.07.2016 को लापता रवि कुमार की डैड बॉडी मिलने पर अभियोग में धारा 346 भा.द.स तर्क कर धारा 302 भा.द.स ईजाद की गई। दौराने अनुसंधान अभियोग को अनुरेखित करते हुए आरोपी घनश्याम व गगन को दिनांक 24.07.16 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

महिला विरुद्ध अपराधों में जिला पुलिस की संवेदनशीलता से अंकुश लगाने बारे:- जिला रेवाडी में महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम का परिणाम समय समय पर की गई पैट्रोलिंग, स्कूल एवं कालेजों के पास महिला पुलिस नियुक्त करके यह उपलब्धि प्राप्त की।

Details of Crime against Women Cases –Up to 25.12.16

| Sr. No. | Crime Head | Registratio n 2015 | Registratio n 2016 | Difference | Down % |
|---------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------|
| 1 | 376 IPC | 63 | 52 | 11 | 18 % |

| | | | | | |
|---|----------|-----|----|----|------|
| 2 | 354 IPC | 69 | 58 | 11 | 16 % |
| 3 | 498A IPC | 114 | 82 | 32 | 29 % |

1. सम्पति विरुद्ध अपराध :-

| Head | Total Reg. | Trace out | % of Trace out cases | Stolen Property | Recovered Pro. | % of Trace out Pro. |
|---------|------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Dacoity | 08 | 06 | 75 % | 90,72,000/- | 76,71,620/- | 85% |
| Robbery | 43 | 27 | 63 % | 1,13,60,645 | 92,90,125/- | 82% |

उपरोक्त शीर्षक के अर्न्तगत Trace out किए गए अभियोगों में से विशेष उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :-

लूट :-

1. मुकदमा न0 44 दिनांक 22.03.16 धारा 379बी भा.द.स थाना कसौला में 3 नामपता नामालूम अभियुक्त तेल टैंकर न0 HR-47B-8493 (with loaded 20,000 Ltr. Diesel) जबरदस्ती लूटकर ले जाने बारे अंकित हुआ। अनुसंधान के दौरान अभियोग को Trace out करते हुए लूटा गया तेल टैंकर न0 HR-47B-8493 (with loaded 20,000 Ltr. Diesel) बरामद किया गया है।
2. अभियोग संख्या 27 दिनांक 01.03.2016 धारा 379बी/342 भा.द.स थाना सदर रेवाडी में 4 नामपता नामालूम अभियुक्त Canter No. RJ-14GD-7281 जबरदस्ती लूटकर ले जाने बारे अंकित हुआ। अनुसंधान के दौरान अभियोग को Trace out करते हुए लूटा गया Canter No. RJ-14GD-7281 बरामद किया गया है।
3. अभियोग संख्या 104 दिनांक 31.03.2016 धारा 379बी भा.द.स थाना धारूहेडा में 2 नामपता नामालूम अभियुक्त Ritz Car No. RJ-02CB-5573 जबरदस्ती लूटकर ले जाने बारे अंकित हुआ। अनुसंधान के दौरान अभियोग को Trace out करते हुए लूटी गई Ritz Car No. RJ-02CB-5573 बरामद की गई है।
4. अभियोग संख्या 48 दिनांक 08.04.2016 धारा 379बी भा.द.स व 25,54,59 शस्त्र अधिनियम थाना सदर रेवाडी में 3/4 अज्ञात अभियुक्त मुदई से पिस्तौल की नौक पर 5125 रु0 नगदी जबरदस्ती लूटकर ले जाने बारे

अंकित हुआ। अनुसंधान के दौरान अभियोग को Trace out करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूटी गई सम्पति 1600 रु0 नगदी व 2 मोटर साईकिल बरामद की गई।

5. अभियोग संख्या 104 दिनांक 10.04.16 धारा 394,397,379बी भा.द.स व 25,54,59 शस्त्र अधिनियम थाना शहर रेवाड़ी, में 4 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा पिस्तौल की नोंक पर जबरदस्ती स्कोपियों गाडी लूटी गई थी, जो अभियोग को अनुरेखित करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जा से लूटी गई Scorpio No. HR-36R-3695 बरामद की गई तथा वारदात में प्रयोगशुद्धा देशी पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

लूट/डैकती की योजना बनाते समय :-

1. दिनांक 19.03.2016 की रात्री को एन.एच. - 71 पर 5/6 बदमाशों द्वारा डैकती की योजना बनाते समय उनमें से दो अभियुक्तों अकमूदीप पुत्र फजरु जाति मेव निवासी कंगर व सतबीर पुत्र हसन मोहम्मद जाति मेव निवासी कागरका को मौका पर पकडा गया। जिनके पास से लाठी व डण्डा वगैरा बरामद किए गए। जो इस घटना के सम्बंध में अभियोग संख्या 32 दिनांक 19.03.2016 धारा 399/402 भा.द.स थाना सदर रेवाड़ी दर्ज किया गया है।
2. **बैंक लूटने की योजना बनाते गिरोह को दिनांक 08/09-07-2016 की रात्री को काबू किया।**
दिनांक 08/09.07.2016 की रात्री को सी.आई.ए युनिट ने बैंक लूटने की वारदात को रोककर 5 आरोपिगण को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है, जो 5 आरोपिगण के विरुद्ध अभियोग संख्या 275 दिनांक 09.07.2016 धारा 399/402 भा.द.स थाना मॉडल टारुन दर्ज रजिस्टर किया गया व उनके कब्जा से को गिरफ्तार कर गैस सिलेण्डर, गैस कटर, पल्सर मोटर साईकिल न0 HR-36K-5956 Black Colour, 1 देशी कटटा व 1 कारतूस बरामद किया गया।

भैंस चोरी :-

इस शीर्षक के अधीन 10 अभियोग Trace out किए गए है जिनका विवरण निम्नलिखित है।

1. अभियोग संख्या 81 दिनांक 14.03.2016 धारा 457/380/186/332/353/307 भा.द.स थाना धारूहेडा में बदमाशों द्वारा चोरी की गई भैंसों को पिकअप गाडी में बिठाकर ले जाते समय उनका पीछा कर चोरीशुद्धा 2 भैंस, 3 कटिया व गाडी पिकअप को बरामद किया गया।
2. अभियोग संख्या 154 दिनांक 03.04.16 धारा 457/380 भा.द.स थाना मॉडल टारुन में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा चोरीशुद्धा एक भैंस बरामद की गई।

3. अभियोग संख्या 94 दिनांक 24.03.2016 धारा 379 भा.द.स थाना धारूहेडा में 2 आरोपिगण को गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में चोरीशुद्धा गाय बरामद की गई।
4. अभियोग संख्या 20 दिनांक 26.02.2016 धारा 379 भा.द.स थाना बावल में 2 आरोपिगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 12000/- रू0 नगदी बरामद की गई।
5. अभियोग संख्या 27 दिनांक 07.02.2016 धारा 380 भा.द.स थाना खोल में 2 आरोपिगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 12000/- रू0 नगदी बरामद की गई।
6. अभियोग संख्या 33 दिनांक 12.02.2016 धारा 380 भा.द.स थाना खोल में 2 आरोपिगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 6000/- रू0 नगदी बरामद की गई।
7. अभियोग संख्या 05 दिनांक 08.01.2016 धारा 380 भा.द.स थाना कसौला में 2 आरोपिगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 6000/- रू0 नगदी बरामद की गई।
8. अभियोग संख्या 08 दिनांक 16.02.2016 धारा 380 भा.द.स थाना जाटूसाना में 2 आरोपिगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 12000/- रू0 नगदी बरामद की गई।
9. अभियोग संख्या 35 दिनांक 10.03.2016 धारा 380 भा.द.स थाना कसौला में 2 आरोपिगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 6000/- रू0 नगदी बरामद की गई।
10. अभियोग संख्या 36 दिनांक 11.03.2016 धारा 380 भा.द.स थाना कसौला में 2 आरोपिगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जा से 12000/- रू0 नगदी बरामद की गई।

वाहन चोरी :-

इस शीर्षक के अर्न्तगत 2 Gange के 9 बदमाशों को गिरफ्तार करके लगभग 21 वाहन चोरी के केस Trace out किए गए है, जिनका विवरण इस प्रकार से है :-

1. अभियोग संख्या 111 दिनांक 10.03.2016 धारा 379 भा.द.स थाना मार्ल टाऊन में 5 आरोपिगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जा से चोरीशुद्धा मोटर साईकिल न0 RJ-02GS-2950 बरामद की गई। जिन्होंने Interogation के दौरान 6 चोरी की वारदातें करनी स्वीकार की। जो इस प्रकार से है :-
 1. मु0न0 124/2016 धारा 379 भा.द.स थाना मार्ल टाऊन।
 2. मु0न0 29/2016 धारा 379 भा.द.स थाना मार्ल टाऊन।

3. मु0न0 57/2016 धारा 379 भा.द.स थाना माडॅल टाऊन।
4. मु0न0 59/2016 धारा 379 भा.द.स थाना धारूहेडा।
5. मु0न0 75/2016 धारा 379 भा.द.स थाना धारूहेडा।

जो उपरोक्त अभियोगों में आरोपिगण के कब्जा से 6 चोरीशुद्धा मोटर साईकिलें न0 RJ-02GS-2950 (HF Deluxe), HR-76B-2423 (TVS Apache), HR-43A-4218 (Splendor +), HR-36M-1678 (TVS Apache), HR-36U-0969 (Splendor +), HR-36S-9349 (Splendor +) व 3 अन्य मोटर साईकिलों को बरामद करके 102 Cr.pc के तहत थाना माडॅल टाऊन में कब्जा पुलिस में लिया गया है।

2. अभियोग संख्या 108 दिनांक 29.05.2016 धारा 398/401 भा.द.स थाना कसौला में 3 बदमाश 1. नीरज पुत्र रतन सिंह जाति गुर्जर निवासी संगवाडी, थाना कसौला, जिला रेवाडी, 2. लाल सिंह उर्फ लाला पुत्र राजपाल जाति गुर्जर निवासी राधुवास गुर्जर व 3. अनिल पुत्र अतर सिंह जाति गुर्जर निवासी राधुवास गुर्जर को लूट की योजना बनाते समय गिरफ्तार कर उनके कब्जा से 2 लोहा सरिये, डण्डा तथा 3 मोटर साईकिलें (Splendor +, CD Deluxe & Splendor +) बिना नम्बरी बरामद की गई। **दौराने Interrogation** उपरोक्त बदमाशों ने 12 चोरी की अन्य वारदाते करनी कबूल की। जो **Trace** की गई वारदाओं का विवरण इस प्रकार से है :-

1. अभियोग संख्या 184 दिनांक 27.06.15 धारा 379 भा.द.स थाना कसौला।
2. अभियोग संख्या 210 दिनांक 06.08.15 धारा 379 भा.द.स थाना कसौला।
3. अभियोग संख्या 250 दिनांक 23.09.15 धारा 379 भा.द.स थाना कसौला।
4. अभियोग संख्या 312 दिनांक 17.12.15 धारा 457/380 भा.द.स थाना कसौला।
5. अभियोग संख्या 50 दिनांक 25.03.16 धारा 457/380 भा.द.स थाना कसौला।
6. अभियोग संख्या 73 दिनांक 30.04.16 धारा 379 भा.द.स थाना कसौला।
7. अभियोग संख्या 520 दिनांक 12.09.15 धारा 379 भा.द.स थाना माडॅल टाऊन।
8. अभियोग संख्या 130 दिनांक 18.03.16 धारा 379 भा.द.स थाना माडॅल टाऊन।
9. अभियोग संख्या 193 दिनांक 07.05.16 धारा 379 भा.द.स थाना माडॅल टाऊन।
10. अभियोग संख्या 194 दिनांक 08.05.16 धारा 379 भा.द.स थाना माडॅल टाऊन।
11. अभियोग संख्या 208 दिनांक 18.05.16 धारा 379 भा.द.स थाना माडॅल टाऊन।
12. अभियोग संख्या 69 दिनांक 19.05.16 धारा 379 भा.द.स थाना बावल।

अतः उपरोक्त वारदाओं में आरोपिगण के कब्जा से 10 चोरीशुद्धा मोटर साईकिलें, TC Battery & Power Capstor जिनकी कुल मालयति 2,24,000/- रू0 (दो लाख 24 हजार रू0) है, बरामद की गई।

3. अभियोग संख्या 93 दिनांक 23.03.2016 धारा 379 भा.द.स थाना धारूहेडा को Trace out करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चोरीशुद्धा मोटर साईकिल न० HR-36S-1288 (Splendor +) बरामद की गई।

ATM चोरी :-

- 1- अभियोग संख्या 45 दिनांक 05.03.2016 धारा 457/380 भा.द.स थाना खोल को Trace out करते हुए बदमाशों द्वारा चोरी की गई ए.टी.एम मशीन नगदी (1,46,700/-रु०) सहित बरामद की गई।

Selfie with chowkodar's –

जिला रेवाडी अपराध की रोकथाम, अपराधों से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित करने और गांव वालों से सहयोग हेतु पुलिस द्वारा Rewari Police के नाम से वाट्सअप ग्रुप बनाया गया है। जिसके द्वारा सभी प्रबन्धक थानाजात को अपने अपने क्षेत्र में गांवों में लगाये गये ठीकरी पहरा पर उपस्थित ग्रामीणों के साथ गस्त पर उपलब्ध कर्मचारियों की सामूहिक फोटो लेकर ग्रुप पर भेजी जाती है। जिससे कार्य में पारदर्शिता व गांवों में ठीकरी पहरा को चैक किया जाता है। हर माह के अन्त में सामूहिक कार्यक्रम जिसमें बैस्ट Performer village को जिसने चोरी रोकथाम, intelligence gathering, भाईचारे व सद्भाव बढ़ाने में योगदान दिया व ग्रामीण परिवेश में फैली बुराईयों को खत्म करने में प्रशासन की मदद की है, सम्मानित किया जायेगा व ग्रामीणों की होसला अफजाई की जायेगी। चयनित गांव का फोटो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगाया जायेगा ओर इन सुनहरी यादों को संजोकर रखा जायेगा। साथ ही सामूहिक प्रोग्रम के दिन ग्राम स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियां भी की जायेंगी। चुनिन्दा ग्रामीणों को पुलिस साथी की संज्ञा दी जायेगी। भविष्य में जिला पुलिस रेवाडी की तरफ से समुचित सम्मान व हर संभव निष्पक्ष सहायता की जायेगी। कुछ समय बाद कार्यक्रम की सफलता देखते हुए इनके पहचान पत्र भी बनाये जायेंगे।

- ❖ जनता व पुलिस में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिये समय समय पर पुलिस लाईन एवं महिला थाना में सेमिनार आयोजित करवाये गये। इसके साथ साथ महिलाओं को आत्मरक्षा में किये जाने वाले तरीकों बारे भी अवगत किया गया।
- ❖ जिला पुलिस में आपसी तालमेल हेतु दिपावली के शुभ अवसर पर पुलिस लाईन रेवाडी में सामूहिक भोज के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उन पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी ड्यूटी निष्ठा, मेहनत व ईमानदारी से की।
- ❖ नाईवाली चौक पर होने वाले जाम से मुक्ति :- शहर रेवाडी के व्यस्ततम नाईवाली चौक पर प्रतिदिन होने वाले जाम से निजात पाने के लिये जिला पुलिस ने दिनांक 13.12.2016 से यातायात व्यवस्था में

सुधार करके हालही में सफलता पाई है जिससे आम जनता को प्रतिदिन के जाम से होने वाली परेशानी से मुक्ति दिलाने में कामयाब रही है।

- ❖ जिला पुलिस द्वारा पुलिस लाईन व थानाजात में पौधे लगाने बारे:- जिला रेवाडी के अन्दर पुलिस लाईन तथा थानाजात में 'पर्यावरण बचाओ, पेड लगाओ' सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत 5,000 पौधे लगाये गये।
- ❖ थाना जात में लम्बित पडी मदों के निपटारा करने बारे:- जिला रेवाडी में थाना जात में काफी समय से मालखाना में लम्बित पडी मदों के निपटारा हेतु एक अभियान चलाया जाकर 839 मदों का न्यायालय के आदेश अनुसार नीलामी की कार्यवाही करके धनराशी खजाना सरकार में जमा करवाकर निपटारा किया जा चुका है।
- ❖ अहाता थाना में काफी समय से खडे 467 वाहनों का न्यायालय से अनुमति लेकर नियमानुसार निपटारा करवाया गया।

Major Achievement

जिला पुलिस रेवाडी द्वारा वर्ष – 2017 के दौरान की गई विशेष उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार से है:-

- ❖ जिला रेवाडी में भ्रूण लिंग जांच पर रोकथाम के लिये ठोस कदम उठाते हुए निम्नलिखित अभियोग अंकित किये गये:-
 1. दिनांक 06.02.17 को डिकोय पे षॉट को अलवर के डायग्नोस्टिक सेंटर भगत सिंह चौक अलवर से डा0 अरोडा के पास ले जाकर भ्रूण लिंग जांच करवाने वाली सत्यवती पत्नी नेतराम जाति अहीर निवासी कुल्ताजपुर थाना किानगढ राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 105 दिनांक 06.02.17 धारा 4,5,6,23 PNDD Act थाना माडल टारुन रेवाडी दर्ज किया गया।
 2. दिनांक 14.02.17 को कोटपूतली तहसील राजस्थान के गांव बनेठी में मकान में चल रहे भ्रूण लिंग जांच गिरोह के सदस्य आरोपी सचिन, रविदत्त, मनोज, मधु को गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 119 दिनांक 14.02.17 धारा 4,5,6 PNDD Act थाना माडल टारुन रेवाडी दर्ज किया गया।
 3. दिनांक 23.07.17 को बुहाना राजस्थान से एक मकान में चल रहे भ्रूण लिंग जांच गिरोह के सदस्य आरोपी अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया जिस सम्बन्ध में अभियोग सं0 230 दिनांक 23.07.17 धारा 3,4,5,6 PNDD Act 15(2)(3) IMC Act, 3,4,5 MTP Act & 22(1),27(D) Durgs & Cosmetics Act 420 IPC थाना भाहर रेवाडी दर्ज

किया गया। आरोपी सचिन पुत्र रामनिवास जाति अहीर निवासी बवानिया थाना कनीना जिला महेन्द्रगढ को दिनांक 05.09.17 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 11000 रुपये व मीन बरामद की गई।

4. दिनांक 01.09.17 को सिविल अस्पताल रेवाडी के डाक्टरों की टीम के साथ सतनाली जिला महेन्द्रगढ में रेड की गई। जिस सम्बन्ध में अभियोग सं० 141 दिनांक 01.09.17 धारा 23(3),4(4),4(5) PNDD Act, 120B,420,511 IPC थाना सतनाली अंकित करवाया गया। अभियोग में आरोपिया कृष्णा पत्नी दौलत राम निवासी कनीना व आरोपी सतीश पुत्र दौलतराम निवासी कनीना को गिरफ्तार करवाया गया।
5. दिनांक 10.10.17 को सिविल अस्पताल रेवाडी के डाक्टरों की टीम के साथ गांव रिवासा जिला महेन्द्रगढ में रेड की गई। जिस सम्बन्ध में अभियोग सं० 575 दिनांक 10.10.17 धारा 4,5,6,23,25,27,28 PNDD Act 420 IPC, 15(2)(3) IMC Act थाना सदर महेन्द्रगढ अंकित करवाया गया। रेड मे 3 महिलाओं सहित 2 व्यक्तियों को काबू किया व मौके से 4,11,000 रुपये, वैगनार कार व भ्रूण लिंग जांच करने की मीन बरामद की गई।
6. दिनांक 25.10.17 को सिविल अस्पताल रेवाडी के डाक्टरों की टीम के साथ स०उ०नि० विधासागर, ई०ए०एस०आई० दीनदयाल, सि० जितेन्द्र, सि० योगेन्द्र, महिला उ०नि० रे म व अन्य द्वारा गांव नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ में रेड की गई। जिस सम्बन्ध में अभियोग सं० 372 दिनांक 25.10.17 धारा 420 IPC थाना नांगल चौधरी महेन्द्रगढ अंकित करवाया गया। रेड मे आरोपी अ गोक पुत्र लीलाराम निवासी ढाणी बनियावाली को गिरफ्तार कर 20000 रुपये, बरामद किये गये। जो आरोपी द्वारा डिकोय पे ंट को बाला जी एक्स रे लैब पर ले जाकर उसका एक्स रे करवाकर लडका होना बतलाया। जो लैब में कोई अल्ट्रासाउन्ड मीन नहीं थी।
7. दिनांक 04.01.2018 को सिविल अस्पताल रेवाडी के डाक्टरों की टीम के साथ महिला उ०नि० उशा, स०उ०नि० विधासागर, सि० जितेन्द्र, सि० विरेन्द्र, सि० योगेन्द्र द्वारा गांव गांव जखराना थाना बहरोड राज० में रेड की गई। जिस सम्बन्ध में अभियोग सं० 01 दिनांक 05.01.18 धारा 4,5(2),23,25 PNDD Act 420,120B IPC PS PBI जयपुर राज० अंकित करवाया गया। रेड मे 2 व्यक्तियों मनोज निवासी बालपुर व सोहनलाल निवासी जखराना को काबू किया व मौके से 18,000 रुपये, लैपटाप वगैरा बरामद की गई।

❖ चेन छीनाझपटी :-

इस शीर्षक के अर्न्तगत छीनाझपटी की वारदात करने वाले गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके 9 केस **Trace out** किए गए है, जिनका विवरण इस प्रकार से है :-

अभियोग संख्या 506 दिनांक 05.12.16 धारा 379ए,411 भा.द.स थाना धारुहेडा में 2 आरोपिगण अजरुद्दीन व फकरुद्दीन को गिरफ्तार किया। जिन्होंने **Interogation** के दौरान 8 छीनाझपटी की वारदातें करनी स्वीकार की। जो इस प्रकार से है :-

1. मु०न० 390 दिनांक 26.09.16 धारा 379ए भा.द.स थाना धारुहेडा।

2. मु0न0 174 दिनांक 17.05.16 धारा 379ए भा.द.स थाना धारुहेडा।
3. मु0न0 482 दिनांक 22.11.16 धारा 379ए भा.द.स थाना धारुहेडा।
4. मु0न0 424 दिनांक 12.10.16 धारा 379ए भा.द.स थाना धारुहेडा।
5. मु0न0 446 दिनांक 24.10.16 धारा 379ए भा.द.स थाना धारुहेडा।
6. मु0न0 477 दिनांक 19.11.16 धारा 379ए भा.द.स थाना धारुहेडा।
7. मु0न0 122 दिनांक 12.04.16 धारा 379ए भा.द.स थाना धारुहेडा।
8. मु0न0 495 दिनांक 28.11.16 धारा 379ए भा.द.स थाना धारुहेडा।

❖ अभियोग सं0 7/17 धारा 386,504,506,148,149 IPC & 25/54/59 Arms Act थाना शहर रेवाडी में फिरोती मांगने वाले अपराधी राजकुमार उर्फ झोटा को गिरोह के सदस्यों विशाल उर्फ कालू निवासी संघी का बास, प्रदीप निवासी नई आबादी, शशीकान्त निवासी मेहरवाडा सहित गिरफ्तार किया। जिसके कब्जा से एक देशी कटटा मय 2 जिन्दा कारतूस व चाकू बरामद किया गया।

❖ दिनांक 05.02.17 को नई बस्ती रेवाडी में रेड कर वेश्यावृत्ति में संलिप्त एक पुरुष व 5 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिस समबन्ध में अभियोग सं0 24 दिनांक 05.02.17 धारा 3,4,5 ITP Act थाना भाहर रेवाडी दर्ज रिजस्टर किया गया है।

❖ जिला पुलिस रेवाडी द्वारा जनवरी माह में अथक प्रयास कर जघन्य अपराध हत्या के अन्तर्गत अंकित निम्नलिखित अनसुलझे केसों को ट्रैस कर विशेष उपलब्धि हासिल की है।

1. मुकदमा नं 50 दिनांक 24.01.17 धारा 363,364ए,302,201 भा.द.स. थाना कसौला रेवाडी।

दिनांक 24.01.17 को गांव चिराहडा थाना कसौला से 2 वर्षीय मासूम बच्ची संजना का नामालूम मुजरमान द्वारा अपहरण किया गया, तत्पश्चात नामालूम मुजरमान द्वारा फोन पर मासूम बच्ची के पिता से 4 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई। जिस पर थाना कसौला एवं CIA टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए साईबर सैल की मदद से अथक प्रयास कर आरोपी अमित चन्द पुत्र हरिद्वारी जाति अनु0 निवासी कुकराहा थाना गडवार जिला बलिया उत्तर प्रदेश हाल किरायेदार चिराहडा को काबू कर आरोपी के फर्द इंकसाफ अनुसार अपहृत बच्ची संजना की नाश बरामद की। आरोपी द्वारा पैसे के लालच में फिरौती को लेकर मासूम बच्ची का दिन दिहाडे अपहरण कर निर्मम हत्या की गई। जो आरोपी का पुलिस रिमाण्ड हासिल कर गहनता से पूछताछ की गई। जिसमें फिरौती के लिये ही मासूम बच्ची का अपहरण कर हत्या करना बतलाया आरोपी न्यायालय से उम्रकैद की सजा हुआ है।

2. अभियोग संख्या 24 दिनांक 26.01.17 धाराधीन 302,34 भा.द.स थाना बावल रेवाडी।

यह अभियोग कपूर सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी दुल्हेडा कलां हाल झाबुआ थाना बावल रेवाडी पर दर्ज हुआ कि उसके जीजा राके । के पास कालू (मो0 नं0 8053882826) निवासी नौगांव झज्जर के पास से धमकी आई कि वह उसे व उसके रि तेदारों को जान से मार देगा। कुछ देर बाद राके । को कालू के भाई, पत्नी व ससुर की तरफ से भी फोन आया और जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 25.01.2017 को मुर्दई का भाई संजय घर पर सोया हुआ था। सुबह संजय की ला । दुल्हेडा से सुबासेडी रोड पर पडी थी। मुर्दई कपूर सिंह को भाक है कि कालू, उसकी पत्नी व ससुर ने संजय की हत्या की है। इस पर उपरोक्त अभियोग अंकित कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान पाया गया कि मृतक संजय की हत्या उसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग के चलते योजना के तहत की गई। जो आरोपी पवन, आरोपिया मनीषा, आरोपी मनीष को अविलम्ब गिरफ्तार किया गया।

3. मुकदमा नं 256 दिनांक 31.08.16 धारा 302 भा.द.स. व 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना शहर रेवाडी।

दिनांक 30.08.2016 को राजबीर उर्फ डिल्लु पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जाट निवासी बापडोली थाना जाटुसाना की उसके निवासी नगर पार्ट 2 रेवाडी स्थित किराये के मकान पर रात करीब 09 बजे नामालुम अभियुक्त द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, जिस बारे मृतक राजबीर के दोस्त नवनीत पुत्र भारतभुशण निवासी धारौली की शिकायत पर उपरोक्त अभियोग अंकित किया जाकर अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान मृतक राजबीर के भाई अजय ने उनके गांव के ही व्यक्ति श्री कृष्ण पुत्र रणबीर पर घटना बारे भाक किया, जो आरोपी श्री कृष्ण काफी समय घर से गायब रहा। अभियोग में हर सम्भव प्रयास कर आरोपी श्री कृष्ण पुत्र रणबीर जाति जाट निवासी बापडोली थाना जाटुसाना को दिनांक 05.02.2017 को कर्मबीर निरीक्षक प्रबन्धक थाना भाहर रेवाडी द्वारा काबू कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने इस केस की घटना से पहले दिनांक 26.08.2016 को अपने गांव बापडोली में भी अवैध हथियार से हवाई फायर किये थे। जिस बारे कृष्ण पुत्र सुमेर सिंह निवासी बापडोली की शिकायत पर मु0न0 71 दिनांक 26.08.2016 धारा 323,506,285,34 भा0द0स0 व 24-54-59 भास्त्र अधिनियम थाना जाटुसाना अंकित हैं। जिसमें भी आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी कृष्ण ने इस अभियोग में अपने फर्द इंकसाफ में पैसे के लेन देन को लेकर राजबीर उर्फ डिल्लु की देी पिस्टल से गोली मारकर हत्या करनी बतलाई। आरोपी से घटना में प्रयुक्त देी पिस्टल बरामद की जा चुकी है।

4. मुकदमा नं 19 दिनांक 25.01.17 धारा 302,34 भा.द.स. व 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना शहर रेवाडी।

दिनांक 24/25.01.17 की रात को राजेन्द्र पुत्र निवदयाल जाति गुर्जर निवासी मोहल्ला रामबास रेवाडी उम्र 20 वर्ष की पैसे के लेनदेन को लेकर आरोपीगण दीपक पुत्र संजय जाति जटिया, सागर पुत्र नारायण दास, पवन पुत्र भयोचंद निवासीगण कतोपुर थाना रामपुरा रेवाडी, अजय उर्फ अविना ा पुत्र दिने ा निवासी खडडा बस्ती रेवाडी द्वारा चाकू मारकर निर्मम हत्या कर ना ा अहीर कालेज के ग्राउण्ड में डाल दी गई। जिस बारे मृतक राजेन्द्र के पिता निवदयाल पुत्र सुन्दरलाल जाति गुर्जर निवासी मोहल्ला रामबास रेवाडी के ब्यान पर यह केस दर्ज किया जाकर तफती ा अमल मे लाई गई। दौरान तफती ा निरीक्षक कर्मबीर सिंह व उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास कर अभियोग अंकित होने के 6 घण्टे के अन्दर ही आरोपी दीपक, अजय, सागर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयोग किये गये डण्डे बरामद किये व आरोपी पवन को दिनांक 27.01.17 को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त चाकू और मृतक का पर्स व मोबाईल फोन बरामद किया गया। आरोपीगण बन्द ज्यूडि ियल हैं।

5. मुकदमा नं 26 दिनांक 07.02.17 धारा 302,324,34 भा.द.स. व 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना शहर रेवाडी।

दिनांक 06.02.2017 को शिकायतकर्ता टेकचन्द पुत्र धनीराम जाति जाटव निवासी मोहल्ला वार्ड नं0 31 भिवाडी राजस्थान का परिवार रेवाडी में बारात में आये हुए थे। बारात रविदास धर्म ाला झज्जर चौक में रूकी हुई थी। जहां पर DJ बज रहा था। जो DJ को बंद करवाने को लेकर आरोपीगण दिने ा उर्फ बाबा नायक व उसके 2 साथियों हेमन्त व प्रिंस ने चाकू से चोटें मारकर शिकायतकर्ता टेकचन्द के भतीजे ललित की निर्मम हत्या कर दी व टेकचन्द को घायल कर दिया। जिस बारे टेकचन्द की शिकायत पर यह अभियोग अंकित किया जाकर तफती ा अमल में लाई दौरान तफती ा ना ा का पोस्टमार्टम करवाया गया तथा उप निरीक्षक भीश्म सिंह ने साथी मुलाजमान की मदद से तत्परता दिखाते हुए अभियोग अंकित होने के 8 घण्टे के अन्दर ही आरोपीगण दिने ा उर्फ बाबा नायक पुत्र प्रभूदयाल जाति जोगी निवासी भीम बस्ती रेवाडी, हेमन्त पुत्र प्रेम चन्द जाति पण्डित निवासी नई बस्ती रेवाडी, प्रिंस पुत्र उमेद सिंह जाति अहीर निवासी

पाल्हावास रेवाडी को गिरफ्तार कर आरोपी बाबा नायक व हेमन्त से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किये गये। आरोपीगण बन्द ज्यूडि गियल हैं।

6. मुकदमा नं 23 दिनांक 03.02.17 धारा 302,379बी,34 भा.द.स. थाना रामपुरा रेवाडी।

दिनांक 02.02.17 को औमप्रका टा पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी बास लाम्बी थाना बिलासपुर जिला गुडगांव सुबह 11.00 बजे अपने घर से अपनी कंपनी IMT मानेसर के लिये गया था। जो रात को वापिस घर नहीं आया। दिनांक 03.02.17 को सुबह गांव धामलावास की बनी में औमप्रका टा की ना टा कुचली हुई अवस्था में पडी मिली। जो मृतक औमप्रका टा की ना टा की िनाख्त उसके पिता हनुमान प्रसाद द्वारा करने उपरांत यह अभियोग नामालूम मुजरमान के खिलाफ औमप्रका टा की गाडी से कुचलकर निर्मम हत्या कर उसका मोबाईल फोन, 28/30 हजार रुपये, उसका बैग व पर्स छीन ले जाने बारे अंकित किया गया जाकर तफती टा अमल में लाई गई। दौराने अनुसंधान निरीक्षक नरेन्द्र सिंह प्रबन्धक थाना रामपुरा ने साथी मुलाजमान की ईमदाद से अथक प्रयास कर साईबर सैल की ईमदाद से आरोपी प्रमिन्द्र उर्फ विक्की पुत्र रोहताश जाति जाट निवासी बापडौली जिला महेन्द्रगढ बारे पता लगाकर दिनांक 06.02.17 को काबू कर अभियोग में गिरफ्तार किया। आरोपी का फर्द इंकसाफ लिखा। फर्द इंकसाफ अनुसार आरोपी ने घटनास्थल की नि ानदेही की। आरोपी से मृतक का छीना गया मोबाईल बिना सिम, नकदी 16,470 रुपये, पर्स व बैग तथा घटना में प्रयोग बोलेरो गाडी नं0 HR-66A-8978 बरामद की गई।

7. अभियोग संख्या 45 दिनांक 25.02.17 धाराधीन 148,149,302,324,307,341,302 भा.द.स. एवं 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना शहर रेवाडी।

दिनांक 24.02.17 को देवेन्द्र पुत्र हुकम सिंह जाति धोबी निवासी दुर्गाकालोनी थाना सदर रेवाडी समय करीब 09.40 PM पर अपने साथी संजय उर्फ चवन्नी पुत्र कृष्ण सोनी निवासी नई आबादी रेवाडी के साथ मोटर साईकिल नं0 HR-36X-7964 पर धारूहेडा चुंगी से पुरानी तहसील की तरफ जा रहा था। तो बाल्मीकि बस्ती मे सुनील, योगे टा उर्फ भोटा, पुत्रान बलबीर सिंह, तन्नू पुत्र पम्मी, अरुण पुत्र सोनू, पवन, चेतन सन्नी व अन्य 4/5 व्यक्ति खडे थे। जो उन्हें देखकर सुनील ने पिस्तौल निकालकर उनके ऊपर फायर किया। लेकिन वे बच गये। उपरोक्त बदमा ां ने मुदई व उसके साथी को डण्डों व लोहा राड से चोटें मारी जो झगडे में लगी चोटों की वजह से संजय उर्फ चवन्नी की अस्पताल में मृत्यु हो गई। जो अभियोग में तत्परता दिखाते हुए दिनांक 25.02.17 को आरोपी योगेश उर्फ भोटा, तरुण कुमार, बिरेन्द्र सिंह को, दिनांक 28.02.17 को आरोपी अरुण उर्फ अन्नू व सन्नी को गिरफ्तार किया गया।

8. अभियोग संख्या 175 दिनांक 24.12.16 धाराधीन 302,201,34 भा.द.स थाना सदर रेवाडी।

दिनांक 24.12.16 को समय करीब 03.20 बजे रामअवतार पुत्र सोमदत्त जाति अहीर निवासी सैक्टर 4 रेवाडी मालिक श्रीकृष्णा ईट भट्टा बूढपुर ने भट्टा पर पडे रेत में किसी नामालूम महिला की ना टा दबी पडी होने बारे सूचना पुलिस को दी। ना टा फूली हुई थी। जो किसी नामालूम अभियुक्त ने अज्ञात महिला की हत्या कर ना टा को सबूत नश्ट करने के लिये रेत में दबा दिया। जिस बारे यह अभियोग अंकित कर तफती टा अमल में लाई। दौराने तफती टा निरीक्षक रामकुमार प्रबन्धक थाना सदर रेवाडी ने अपनी टीम के साथ अथक प्रयास कर मृतका नामालूम बारे पता किया। जो ना टा की िनाख्त रेणू पत्नी बलवान सिंह जाति अनुसूचित निवासी दुर्जनपुर थाना बवानीखेडा भिवानी उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुई। मृतका रेणू की मौत उसके पति बलवान सिंह पुत्र सुभाष जाति अनुसूचित निवासी दुर्जनपुर वा देवर सोमबीर उर्फ छोटू

पुत्र सुभाष जाति अनुसूचित निवासी दुर्जनपुर थाना बवानीखेडा जिला भिवानी द्वारा मृतका के चरित्र पर भाक करने पर की जानी पाई गई। जो अभियोग में आरोपी बलवान व सोमबीर को दिनांक 01.01.2017 को गिरफ्तार किया गया। जो बन्द ज्यूडि टायल है।

9. अभियोग संख्या 120 दिनांक 11.09.16 धाराधीन 302,34 भा.द.स थाना सदर रेवाडी।

दिनांक 11.09.16 को डोहकी नहर के पास अज्ञात आरोपी द्वारा कपडा विक्रेता ओमप्रकाश की हत्या कर दी गई थी। जो अभियोग में पिछले एक वर्ष से कोई सुराग नहीं चल पाया था। जो अभियोग को अनुरेखित करते हुए दिनांक 06.09.17 को आरोपी बालक राकेश उर्फ बच्ची पुत्र शादीराम उर्फ सुरेश जाति अहीर निवासी जुडी थाना कोसली को गिरफ्तार कर अभियोग का निपटारा किया गया।

10. अभियोग संख्या 31 दिनांक 02.03.17 धाराधीन 302,201 भा.द.स. थाना सदर रेवाडी।

दिनांक 02.03.17 को फिदेडी गांव के पास खेतों में एक अज्ञात व्यक्ति की सिर कटी हुई लाश प्राप्त हुई जिस पर उपरोक्त अभियोग अंकित कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौरान अनुसंधान दिनांक 06.03.17 को दिल्ली नाका नहर से उक्त लावारिस नाश का सिर बरामद किया गया। दिनांक 08.03.17 को उक्त नाश की शिनाख्त अशोक पुत्र रतिराम निवासी पाल्हावास के रूप में की गई। अभियोग को बहुत ही कम समय में अनुरेखित करते हुए दिनांक 13.03.17 को आरोपी रामनिवास व आरोपिया रेखा पत्नी मृतक अशोक निवासीगण पाल्हावास को गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने बतलाया कि उनके आपसी अवैध सम्बन्धों के चलते उन्होंने अशोक की तेजधार हथियार से हत्या की है।

11. अभियोग संख्या 109 दिनांक 14.06.17 धारा 346 302,201,120बी भा.द.स. थाना कोसली रेवाडी।

यह अभियोग माया देवी पत्नी कमलेश जाति अनुसूचित निवासी सिजेहरी तहसील सिहोरा जिला कटनी मध्य प्रदेश में हाल किरायेदार कोसली की शिकायत पर दर्ज हुआ कि उसका पति कमलेश (उम्र 42 वर्ष) दिनांक 10.06.17 को घर से लापता है। तलाश की जाये। इस पर उपरोक्त अभियोग अंकित कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौरान अनुसंधान अभियोग के सम्बन्ध में आरोपी सन्दीप पुत्र कंवर सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो आरोपी सन्दीप ने बतलाया कि माया देवी से उसके अवैध सम्बन्ध थे। जिस कारण माया के कहने पर उसने दिनांक 10.06.17 को समय करीब 07.00 बजे भाम कमलेश को अधिक भाराब पिलाकर उसके सिर पर कस्सी से चोटें मारकर हत्या कर दी व उसकी नाश गांव दखोरा में जय प्रकाश पुत्र कुरडा राम जाति ब्राहमण के खेत में दबा दिया। जिस पर दिनांक 04.07.17 को मृतक कमलेश की नाश खेत से बरामद कर धारा 302,201,120बी भा.द.स. ईजाद कर आरोपी सन्दीप व माया देवी को गिरफ्तार किया गया। अभियोग सं 478 दिनांक 26.08.17 धारा 302,307,37 भा.द.स. 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना माडल टाउन रेवाडी।

दिनांक 25.08.17 को भाम को अनाज मण्डी में दैनिक भास्कर कार्यालय के पीछे अज्ञात व्यक्तियों ने पवन उर्फ पंजी व हितेश उर्फ लड्डू को गोली मारी गई। जिससे पवन उर्फ पंजी की मृत्यु हो गई व हितेश उर्फ लड्डू को PGI रोहतक दाखिल करवाया, जो हितेश उर्फ लड्डू की भी रोहतक PGI ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। दौरान अनुसंधान अभियोग में तीव्रता से अनुरेखित करते हुए दिनांक 06.09.17 को आरोपी पुनित उर्फ ताईवाला को व दिनांक 09.09.17 को आरोपी राहुल, विक्रम, हितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

12. अभियोग संख्या 169 दिनांक 15.08.17 धारा 302,201 भा0द0स थाना कोसली रेवाडी।

यह अभियोग आनन्द पुत्र महासिंह जाति जाट निवासी रिठाल जिला रोहतक की िकायत पर दर्ज हुआ कि वह जुडडी पम्प हाउस पर बेलदार के पद पर काम करता है। दिनांक 15.08.17 को वह पम्प पर गेज देखने गया तो वहां एक प्लास्टिक कट्टा की बोरी दिखाई दी जो साथी ई वर निवासी जुडडी व रोहता ा निवासी जहाजगढ की मदद से प्लास्टिक बोरी को बाहर निकालकर खोला तो उसमें एक 30/35 वर्ष की अज्ञात महिला की ना ा सडी गली अवस्था में थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उक्त महिला की हत्या करके ना ा छुपाने की नीयत से बोरी में डालकर पानी में डाल दिया। इस पर उपरोक्त अभियोग अंकित कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान मृतका की कार्यवाही 174 द0प्र0स0 अमल मे लाई जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। जो मृतका की िनाख्त समय पर ना होने के कारण ना ा का अंतिम संस्कार कमेटी द्वारा करवाया गया। दौराने अनुसंधान मृतका महिला की िनाख्त राजबाला उर्फ घुग्घी पुत्री लक्ष्मण सिंह जाति बावरिया निवासी फूलका, सिरसा के तौर पर हुई है। जो अभियोग को अनुरेखित करते हुए दिनांक 06.10.17 को आरोपी पृथ्वी सिंह पुत्र फूल चन्द व लक्ष्मी पत्नी पृथ्वी सिंह अकवाम बावरिया निवासीगण गाजी गोपालपुर जाटूसाना को व आरोपी सन्दीप को गिरफ्तार किया गया।

**13. अभियोग संख्या 263 दिनांक 21.08.17 धारा 302,34 भा0द0स0 25/54/59 भास्त्र अधिनियम थाना शहर रेवाडी। 3
SC/ST Act ईजाद की गई।**

दिनांक 20.08.17 को भाम समय करीब 06—7 बजे मिरण्डा पुत्र मनोज जाति धानक निवासी अजय नगर रेवाडी की दूसरे गुट से रंजि ा के चलते मन्नू सैनी, बसन्ती गुर्जरवाडा, प्रवीण नाई, लला बिहारी, सुनील कोहली ने मिल कर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। दौराने अनुसंधान तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.09.17 को आरोपी मन्नू व प्रवीण को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 28.09.17 को आरोपी दिनेश उर्फ बसन्ती को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान जारी है।

14. अभियोग संख्या 91 दिनांक 27.06.17 धारा 302,201 भा.द.स. 25/54/59 भास्त्र अधिनियम थाना सदर रेवाडी।

दिनांक 27.06.17 को पावन डेयरी रामगढ रोड पर विजय व उसके दोस्त पंकज निवासी उत्तम नगर की बदमा ाों ने सिर मे 3/3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जिस पर मुदई द्वारा सुनील, सेवक, प्रवीण निवासी धारूहेडा चुंगी पर भाक जाहिर किया गया। जो दौराने अनुसंधान दिनांक 18.07.17 को वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी प्रवीण उर्फ मियां को, दिनांक 24.07.17 को आरोपी कमल उर्फ पलटी को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 30.09.17 को पवन पुत्र राजकुमार जाति अनु0 निवासी बंजारवाडा को व दिनांक 16.12.17 को आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सुनील पर एक लाख का ईनाम घोषित था

15. अभियोग संख्या 548 दिनांक 03.12.17 धाराधीन 346,364,302 भा.द.स थाना धारूहेडा रेवाडी।

मालपुरा गांव में दिनांक 03.12.17 को अज्ञात आरोपी द्वारा 8 वर्ष के बालक प्रिंस का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। जो अभियोग को भीघ्रता से अनुरेखित करते हुए दिनांक 04.12.17 को आरोपी दिगम्बर पुत्र रामसिंह वासी हबीबपुर थाना सेवर जिला भरतपुर राज0 हाल किराएदार मालपुरा को गिरफ्तार कर अभियोग का निपटारा किया गया।

❖ दिनांक 18.02.17 की रात्री को गढी गांव के नजदीक डकैती की योजना बना रहे 7 आरोपियों मोहित निवासी महे वरी, ललित, भुभम, गौतम, जोनी, कृष्ण, कपिल निवासी गढी को गिरफ्तार किया। जो आरोपी ललित, मोहित, गौतम, कृष्ण ने पूछताछ पर दिनांक 16.02.17 व 17.02.17 को धारूहेडा से ही छीनाझपटी की 2 वारदातें करनी स्वीकार की। जिस पर अभियोग सं० 85 दिनांक 16.02.17 व 86 दिनांक 17.02.17 धारा 379ए भा.द.स. थाना धारूहेडा में आरोपीगण को गिरफ्तार कर छीनी गई सम्पत्ति बरामद की गई।

❖ अभियोग संख्या 150 दिनांक 27.05.17 धाराधीन 379बी भा.द.स. 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना शहर रेवाडी।

दिनांक 26.05.17 को रात समय करीब 08.00 बजे अजीत कुमार कै 1 मैनेजर Amway कंपनी XPP BMG Mall Rewari से जैन स्कूल के पास मोटर साईकिल सवार 2 बदमा गों द्वारा पिस्तौल दिखाकर 3,50,000/-रूपये, लैपटाप से भरे बैग को छीन ले जाने पर उपरोक्त अभियाग अंकित किया गया। जिस पर विशेष प्रयास कर अभियोग को अनुरेखित करते हुए दिनांक 07.06.17 को आरोपी अजीत निवासी भिडण्टी थाना नांगल चोधरी को व दिनांक 10.06.17 को आरोपी दीपक निवासी खासापुरा रेवाडी को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण से छीनी गई सम्पत्ति व वारदात में प्रयुक्त मोटर साईकिल व पिस्टल बरामद की गई।

❖ प्रबन्धक थाना खोल द्वारा गाँव पाली में चल रहे कैमिकल से नकली दूध तैयार कर आस पास के गांवों में सप्लाई करने की फैक्ट्री का भांडाफोड कर अभियोग संख्या 43 दिनांक 20.02.17 धारा 420,417,272 भा.द.स. व 7/16 prevention of food adulteration Act थाना खोल दर्ज किया व मौका से 2 आरोपियों सती 1 पुत्र दीपचन्द निवासी पाली व लक्ष्मण पुत्र प्रभूदयाल निवासी गोठडा टप्पा खोरी को गिरफ्तार किया व आरोपीगण के कब्जा से 4 ड्रम कुल 840 लीटर दूध, 2 टिन रिफाईंड सोयाबीन तेल, एक बैग Malto Dextrai Powder, 125 KG. tactogs, one bag Malto Rextrain powder वगैरह बरामद किये।

❖ ATM म गिन से छेडछाड कर धोखाधडी से रूपये निकालने वाले अर्न्तराज्जीय गिरोह की धरपकड कर 4 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने ATM म गिन से धोखाधडी की गुडगांव, रेवाडी, राजस्थान वगैरा की काफी वारदातें कबूल की, जिनमें से जिला रेवाडी की निम्नलिखित 4 वारदातों बारे इंकसाफ किया।

1. मु०न० 170 दिनांक 15.06.16 धारा 420,406 भा०द०स० भा.द.स थाना भाहर रेवाडी
2. मु०न० 280 दिनांक 24.09.16 धारा 420,406 भा०द०स० भा.द.स थाना भाहर रेवाडी
3. मु०न० 190 दिनांक 01.04.17 धारा 420,406 भा०द०स० भा.द.स थाना माडल टाउन रेवाडी
4. मु०न० 149 दिनांक 16.05.17 धारा 420,406 भा०द०स० भा.द.स थाना भाहर रेवाडी

❖ जिला रेवाडी की काफी वारदातों में वांछित निम्नलिखित अपराधियों को गिरफ्तार कर अपराधों पर अंकुश लगाया है।

1. रोहित पुत्र रामकिान जाति वाल्मीकि निवासी अजय नगर रेवाडी
2. राजकुमार उर्फ झोटा पुत्र लाल सिंह निवासी संघी का बास रेवाडी
3. रिक्की राघव पुत्र मदन निवासी खाण्डसा गुडगांव

- ❖ जिला रेवाडी की लूट, छीनाझपटी, हत्या निम्नलिखित वारदातों में वांछित आरोपी पुनित उर्फ ताईवाला पुत्र राजू निवासी करौथा रोहतक को गिरफ्तार कर अपराधों पर अंकुश लगाया है।
 1. मु0नं0 464 दिनांक 21.08.17 धारा 379बी,365,285 भा0द0स0 25/54/59 भास्त्र अधिनियम थाना माडल टाउन रेवाडी।
 2. मु0नं0 465 दिनांक 21.08.17 धारा 147,148,452,323,506,427 भा0द0स0 थाना माडल टाउन रेवाडी।
 3. मु0नं0 478 दिनांक 26.08.17 धारा 302,21634 भा0द0स0 25/54/59 भास्त्र अधिनियम थाना माडल टाउन रेवाडी।
 4. मु0नं0 479 दिनांक 26.08.17 धारा 379ए भा0द0स0 थाना माडल टाउन रेवाडी।
 5. मु0नं0 480 दिनांक 26.08.17 धारा 379ए भा0द0स0 थाना माडल टाउन रेवाडी।
 6. मु0नं0 483 दिनांक 26.08.17 धारा 307,34 भा0द0स0 25/54/59 भास्त्र अधिनियम थाना माडल टाउन रेवाडी।
 7. मु0नं0 251/17 धारा 285 भा0द0स0 25/54/59 भास्त्र अधिनियम थाना भाहर रेवाडी।
 8. मु0नं0 253/17 धारा 147,148,452,427,506 भा0द0स0 थाना भाहर रेवाडी।
 9. मु0नं0 140/17 धारा 25/54/59 भास्त्र अधिनियम थाना सदर रेवाडी।
 10. मु0नं0 132/17 धारा 379ए भा0द0स0 25/54/59 भास्त्र अधिनियम थाना सदर रेवाडी।
- ❖ मोटर साईकिल चोरी गिरोह चलाने वाले आरोपी मनोज पुत्र सुखलाल जाति ब्राह्मण निवासी निवाणा थाना पुन्हाना जिला नूंह व मुनशरीफ पुत्र बददल जाति मेव निवासी पटपडवास थाना पुन्हाना जिला नूंह को दिनांक 24.11.17 को गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने पूछताछ पर वाहन चोरी व छीनाझपटी वगैरा की कुल 69 वारदातें करनी स्वीकार की।
- ❖ दिनांक 23.12.17 को एक लाख के ईनामी बदमाश सुनील कुमार पुत्र बलबीर जाति वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि बस्ती को गिरफ्तार किया जो डबल मर्डर, हत्या का प्रयास, फिरौती, शस्त्र अधिनियम, चोरी, आपराधिक षडयंत्र जैसे मामलों में काफी समय से वांछित चला आ रहा था।
- ❖ उपायुक्त रेवाडी श्री यश गर्ग से डेढ़ लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर गैंग का पर्दाफाश किया।
- ❖ निखरी कट के पास बस से 80 लाख रुपये की लूट के मामले का पर्दाफाश कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में स्कूलों व कालेजों में जागरूकता अभियान चलाए गये।
- ❖ बेटे बचाओ— बेटे पढाओ अभियान के लिये खोल में कार्यक्रम आयोजित किया जाकर पुरुशों व महिलाओं को जागरूक किया।
- ❖ गांवों में ठीकरी पहरा देने के लिये सैल्फी विद पहरेदार कार्यक्रम आयोजित किये व पुलिस मित्रों के लिये पहचान पत्र तैयार किये गये। जिसके तहत ग्रम वासी स्वयं ही गांवों की सुरक्षा के लिये रात्री ठीकरी पहरे के लिये तैयार हुए व गांवों के अपराधों में कमी आई।
- ❖ पुलिस व जनता में आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिये सामूहिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

भास्त्र अधिनियम, जुआ अधिनियम, आबकारी अधिनियम, NDPS Act के अर्न्तगत प्राप्त की गई उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:-

Arms Act

| Cases registered | | Pistol/ revolver | | Cartridge | | other | |
|------------------|------|------------------|------|-----------|------|-------|------|
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 40 | 51 | 42 | 63 | 69 | 132 | 5 | 6 |

Gambling Act

| Cases registered | | Recovery | |
|------------------|------|----------|----------|
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 64 | 79 | 438080/- | 690760/- |

Excise Act

| Cases registered | | licit liquor (in Btls) | | English wine (in Btls) | | Beer (in Btls) | |
|------------------|------|------------------------|-------|------------------------|-------|----------------|------|
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 248 | 396 | 4002 | 31369 | 11243 | 52658 | 74970 | 2124 |

NDPS Act

| Cases registered | | Puppy Husk | | Bhang Patti | | Ganja | | Sulpha | | Smaik | |
|------------------|------|------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 12 | 25 | 4.234 kg. | 0 | 0.75 kg. | 3.703 kg. | 3.115 kg. | 9.862 kg. | 1.467 kg. | 0.97 kg. | 0 | 0.600 mg. |

Action against of Overloading Vehicle 1.01.2017 to 31.12.2017

| Case Registered | Impound Vehicle | Challan | Pay of Fine |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|------------|-------------|------------|----------------------|
| 200 | 1784 | 243 | 1,11,44,800/- |
|------------|-------------|------------|----------------------|